<u>राजस्थान–सरकार</u>

<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :– 03/2023

बउनवान

कुलदीप पुत्र देवीशंकर जाति धाकड निवासी राजपुरा खालसा तहसील छीपाबड़ौद

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबड़ौद

(रेस्पोडेन्ट)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

<u>निर्णय दिनांक 29.09.2023</u>

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 149/2022 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2022 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम राजपुरा खालसा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 मे खसरा नम्बर 303 की रकबा 01 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 01 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 50/– रूपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 03.03.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को वाके ग्राम राजपुरा खालसा तहसील छीपाबडौद मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 303 रकबा 1 बीघा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह की सजा व 50 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने मे कानूनी भूल की है अपीलांट ने उक्त विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नही किया है अपीलांट अपने खातेदारी की आराजी को काश्त करता है। अपीलांट ने सरकारी चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा है पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने मे कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व होने से प्रथम दृष्टया ही काबिल खारजी है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना मे अर्थदण्ड जुर्माना जमा करा दिया है तथा अपीलांट का अब कोई सरकार भूमि या पठार भूमि पर अतिक्रमण नही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीक[illegible] जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.12.2022 निरस्त फरमाया जाने की कृपा करें।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन [illegible] गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल मक्का की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायाल[illegible] अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील क[illegible]ई गई है। अपीलांट अ[illegible] न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2079 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है और अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि होना पाया जाता है।

अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 149/2022 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 08.12.2022 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (01 माह) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि अपीलांट विवादित आराजी वाके ग्राम राजपुरा खालसा के खसरा नम्बर 303 की रकबा 01 बीघा से स्वयं का कब्जा हटाकर तहसीलदार, छीपाबड़ौद के समक्ष अन्दर एक माह में शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि मेरे द्वारा उक्त विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है, वर्तमान में उक्त आराजी पर मेरा कब्जा नहीं है एवं भविष्य में भी उक्त राजकीय भूमियों पर कब्जा नहीं करूंगा तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 149/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2022 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2022 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested